चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0 / 3390
दिनांक : 03.02.2021

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः– सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया शासन के संलग्न पत्र संख्या–332 / सत्तर–4–2021–1190 / 2019 दिनांक 02.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव उपलब्ध कराने जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शासन के पत्र के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा है कि आप शासन के संलग्न पत्र के आलोक में अपने–अपने विभागों से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्ताव दिनांक 06.02.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के माध्मय से मा0 कुलपति जी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

03.02.2021

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. प्रभारी, वेबसाइट
04. प्रेस प्रवक्ता।

कुलसचिव

ई–मेल/समयबद्ध

संख्या–332 /सत्तर–4–2021–1190/2019

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांक 2 फरवरी, 2021**

विषयः–सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–282/सत्तर–4–2021, दिनांक 28.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजनान्तर्गत के दिशा–निर्देश की आवेदन की प्रकिया में आंशिक संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 20 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि उस विश्वविद्यालय के विभाग को पूर्व में जो भी धनराशि अवमुक्त की गयी थी वह न्यूनतम 70 प्रतिशत उपभोग कर ली गयी हो।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणोपरान्त अधिकतम 20 प्रस्तावों को वरीयता निर्धारित करते हुए कुलपति के अनुमोदनोपरान्त शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 282 / सत्तर–4–2021
लखनऊः दिनांक– 29 जनवरी, 2021
कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–1114 / सत्तर–4–2011–46(27) / 2010 दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत किये गये हैं। सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैंः–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु–02 आवेदन की प्रकिया (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 02 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है। यदि इससे अधिक प्रस्ताव प्राप्त होते है तो कुलपति द्वारा प्राथमिकता तय करके भेजे जायेंगे, ताकि उन्ही प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।	**बिन्दु–02 आवेदन की प्रकिया** (4) एक विश्वविद्यालय द्वारा अधिकतम 20 विभागों के प्रस्ताव योजनान्तर्गत भेजे जा सकते है, परन्तु शर्त यह है कि उस विश्वविद्यालय के विभाग को पूर्व में जो भी धनराशि अवमुक्त की गयी थी, वह न्यूनतम 70 प्रतिशत उपभोग कर ली गयी हो।
बिन्दु–4 अनुमोदन की प्रकियाः (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों / क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों / शिक्षाविद / तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।	**बिन्दु–4 अनुमोदन की प्रकियाः** (2) प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल बनाया जायेगा जिसमें विभिन्न विषयों / क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षकों / शिक्षाविद / तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शासन स्तर पर सम्बन्धित अनुभाग के विशेष सचिव सम्मिलित होंगे। इस विशेषज्ञ पैनल के साथ संयोजक का कार्य अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा और उन्ही के स्तर से बैठक बुलाने आदि की कार्यवाही की जाएगी, तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार होने वाले व्यय आदि का भुगतान उच्च शिक्षा परिषद द्वारा अपने बजट के माध्यम से किया जाएगा।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा निर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी),
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह),
उप सचिव।